IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

[1]अल्का गौतम, [2]डा. विवेक कुमार यादव

[1]शोधार्थी, [2]शोध निर्देशक

समाजशास्त्र विभाग

ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज, प्रयागराज (इलाहाबाद विश्वविद्यालय)

सारांश- प्रस्तुत शोध-पत्र उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है। देश के निर्माण, उन्नति तथा उन्नत भविष्य के लिए एक शिक्षित समाज का होना आवश्यक है। यह अध्ययन अनुसूचित जाति की महिलाओं की उच्च शिक्षा में साक्षरता दर, नामांकन दर, उच्च शिक्षा में प्रवेश, स्कूल छोड़ने की दर, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियां और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करता है तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जातीय भेदभावों को भी प्रस्तुत शोध में शामिल किया गया है आदि शोध की प्रमुख समस्या है| नीतियों के माध्यम से अनुसूचित जाति की महिलाओं को सामान शिक्षा दिलाने के अथक प्रयास किये गये है ताकि वे भी अपनी पहचान बना सकें आदि इसके प्रमुख उद्देश्य है। यह शोध-पत्र द्वितीयक श्रोतों तथा गुणात्मक पद्धति पर आधारित है। अनुसूचित जाति की महिलाओ की शिक्षा और समाज के घनिष्ठ संबंधों को प्रस्तुत शोध में उजागर किया गया है।

मुख्य शब्द- अनुसूचित जाति, महिला, शिक्षा, समाज, समानता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान, नीतियां।

प्रस्तावना- भारतीय पारंपरिक समाज में महिलाएं प्राचीन काल से ही समाज एवं परिवार की आधारशिला रही हैं| महिलाओं की भूमिका बच्चों के विकास के लिए ही उत्तरदायी नहीं है बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पेटालॉजी के अनुसार- घर बच्चे की पहली पाठशाला है। जहां वह बड़ा होने के साथ-साथ अनुभव प्राप्त करता है तथा स्वयं का विकास करता है। आजादी के 77 वर्ष बाद भी दलित आरक्षण होने के बावजूद भी दलित हर क्षेत्र में पीछे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल दलित आबादी में से दलित महिलाओं की संख्या 16.6 प्रतिशत हैं, जिन्हें अभी भी शिक्षा एवं विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिला है जबकि राष्ट्र की प्रगति में नारी शक्ति का विशेष योगदान होता है और इस नारी शक्ति को

केवल शिक्षा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। नेपोलियन अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते है कि- "मुझे सुशिक्षित माताएं दें मैं एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूंगा"। इसके भाव से यह अर्थ निकलता है कि एक माता के शिक्षित होने से न केवल परिवार वरन् संपूर्ण राष्ट्र को शिक्षित किया जा सकता है अर्थात् एक शिक्षित महिला राष्ट्र के निर्माण व उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विश्वविद्यालय में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद भी अनुसूचित जाति की छात्राओं को शिक्षा का पूर्णत लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक देश की प्रगति में महिलाओं की सहभागिता प्राप्त नहीं हो सकती है। यह अध्ययन शिक्षा में असमानता को दूर करने पर बल देता है।

एम. एस. गोरे, आई. पी. देसाई (1988) ने बताया कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के होते हुए भी निम्न वर्गों के लोग शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं| एक ओर उच्च शिक्षा में वे विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं जिनके माता-पिता उच्च वर्ग के होते हैं जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसकी भाषा अंग्रेजी होती है दूसरी ओर निम्न वर्ग के माता-पिता है जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों से शिक्षा, तहसील स्तर के कॉलेजों, क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करते है जो हिंदी माध्यम के होते हैं| जिसके करण उच्च वर्ग के छात्र ही ऊंची जगहों पर पहुच पाते है| अतः शिक्षा के क्षेत्र में गैर-बराबरी देखी जाती है|

मनोज कुमार सिंह (2000) ने शिक्षा की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा की है। राष्ट्र का विकास कुछ सीमा तक उच्च शिक्षा पर निर्भर करता है इसलिए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया है। उच्च शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ना चाहिए। इस अध्ययन में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन द्वारा की जाने वाली लापरवाही से छात्रों के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर किया गया है| प्रशासन की लापरवाही से जब छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तब स्थिति भयाभय रूप धारण कर लेती है।

आर. सी. मिश्रा (2009) भारतीय संदर्भ में महिला शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती है जिसमें बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और महिला सशक्तिकरण शामिल है इसके साथ ही महिला शिक्षा के महत्व और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है और इस क्षेत्र में प्रगति और विकास के लिए किए गए प्रयासों पर भी चर्चा करती है|

जैन अरविंद (2012) ने अध्ययन में पाया कि लखनऊ शहर की मलिन बस्तियों की समस्त महिलाओं को पूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है जो दलित महिलाएं शिक्षण संस्थानों में पंजीकृत हैं उन्हें भी शिक्षा प्रदान करने में पूर्णता सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। समाज में अधिकतर यह महिलाएं मानसिक प्रताड़ना के साथ-साथ लोगों की गालियों का भी सामना करती हैं।

पी. जी. जगडन्ड (2013) के अध्ययन करने से यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न जनपदों ने दलित महिलाओं की निम्न साक्षरता का प्रमुख कारण, महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में न पहुंच पाना है| उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है जिसका कारण दलित महिलाओं के उच्च शिक्षा में पहुंच का अभाव है।

एस. परमजीत (2014) के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि आज वास्तव में दलित वर्ग की महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति अन्य वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा अत्यधिक कमजोर है। भेदभाव, दुर्व्यवहार और पर्याप्त सुविधाएं न मिल पाने के कारण दलित महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। बाहरी कारणों के

साथ-साथ कुछ परिवारिक कारण, जैसे- जल्दी शादी होना, माता-पिता की संकीर्ण सोच, घरेलू कार्यों में व्यस्तता, जागरूकता का अभाव भी उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित किए हुए हैं।

अरुण कुमार (2015) शिक्षा के बिना विकास की कोई भी योजना सफल नही हो सकती। दलित वर्ग के सभी पहलुओं की विषद व्याख्या की। दलितों पर शिक्षा के बहुआयामी प्रभाव क्या हैं? उदारीकरण, भूमंडलीकरण के मानचित्र में दलितों का शैक्षणिक परिदृश्य कैसा है? दलित उत्थान में शिक्षा की भूमिका क्या है? शिक्षा प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में दलितों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां क्या हैं? इन चुनौतियों का समाधान तथा संभावनाएं क्या हैं? इत्यादि मुद्दों का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त साहित्यों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट है कि महिलाओं के विषय में जो भी विचार दिए हैं उनसे पूरी तरह सहमत है|

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध में उच्च शिक्षा की अनुसूचित जाति की महिलाओं को शामिल किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र में गुणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। तथ्यों का संकलन द्वतीयक स्रोतों के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन के लिए विभिन्न शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्ट, ग्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, इंटरनेट आदि के माध्यम से अध्ययन कार्य पूर्ण किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करना।

2. उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना।

3. उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं की भागेदारी का अध्ययन करना।

4. उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं के द्वारा शिक्षा को बीच में छोड़ने में विभिन्न कारणों का अध्ययन करना।

शिक्षा- मानव आदिकाल से जो भी अनुभव के माध्यम से सीखता, समझता व ग्रहण करता आ रहा है वह शिक्षा के द्वारा ही सीखता है। शिक्षा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन है जिससे समाज अपने को निर्मित व परिवर्तित भी करती हैं| इसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को तराशा जाता है| जॉन डीवी- शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी सभी संभावनाओं को पूर्ण कर सके| शिक्षा मानव को समाज के साथ जोड़ने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करती हैं। प्रघटनाशास्त्रियों तथा अंतःक्रियावादियों का मानना है कि- शिक्षा समाज को जोड़ती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन के लिए तथा समाज के लिए कितनी उपयोगी है।

उच्च शिक्षा- उच्च शिक्षा का वास्तविक अर्थ- सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा के ऊपर किसी विशेष, विषद या सूक्ष्म शिक्षा को उच्च शिक्षा कहते हैं। प्रारंभिक एवं माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है। इसके द्वारा समाज व राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। आर. के. सिंह के अनुसार- उच्च शिक्षा शिक्षा का वह स्तर है जो देश के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता है। उच्च शिक्षा किसी राष्ट्र के

बहुमुखी विकास का साधन होती है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत आध्यात्मिक शक्तियों तथा मानव समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं का हल खोजा जाता है।

भारतीय समाज में अनुसूचित जाति की अवधारणा- भारतीय समाज में अनुसूचित जाति का निर्धारण मुख्य रूप से ऐतिहासिक कारणों, सामाजिक, आर्थिक स्थिति और संविधान के प्रावधानों से होता है। अनुसूचित जातियों को व्यवस्था तथा समाज के निचले स्तर पर रखा गया| अनुसूचित जातियों के नामकरण के संबंध में काफी मतभेद रहा है इन्हें भारतीय समाज में अछूत, दलित, दुर्बल, हरिजन, बाहरी एवं पिछडी जातियां, अस्पृश्य एवं निम्न जातियां आदि नामों से संबोधित किया जाता रहा है। जी. एस घुरिए (1932) ने अपनी पुस्तक "जाति, वर्ग और व्यवसाय" में यह बताया है कि उस समय यह विश्वास अवश्य प्रचलित था कि यज्ञ के स्थान पर शूद्र को नहीं आने देना चाहिए| भारतीय समाज में व्याप्त अस्पृश्यता एक प्रमुख समस्या है। भारत में वर्तमान में अनुसूचित जातियों की संख्या 3.8 करोड़ से अधिक है जिन्हें अस्पृश्यता के नाम पर अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है और निम्न जीवन स्तर बिताने के लिए विवश किया गया। भारतीय समाज में अनुसूचित जाति का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत किया गया है। अनुसूचित जाति एक संवैधानिक शब्द है|

उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति- आधुनिक काल में अनेक मिशनरियों, समाज सुधारकों और कुछ भारतीय नेताओं के द्वारा किए गए प्रयासों से स्त्री शिक्षा में कुछ प्रगति हुई। आज देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए ग्रामीणों की शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है जिससे कि समाज के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो सके। उच्च शिक्षा व्यवस्था में भारत का तीसरा स्थान है। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति की महिलाएं उच्च शिक्षा के माध्यम से समस्त विश्व में विस्तृत भूमिका और जिम्मेदारियों को उठा रही है। किरण देवी के अनुसार- अगर महिलाओं को ऊपर उठना है या उच्च शिक्षा प्रदान करनी है तो सर्वप्रथम हमें बेटा-बेटी के भेदभाव जैसे संकट से उभरना होगा और महिलाओं को इसी भेदभाव से मुक्ति पानी होगी। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद कुछ पुरुषों की दबावपूर्ण प्रकृति और विस्तृत कारणों की वजह से अनुसूचित जाति की महिलाएं शिक्षा में प्रवेश लेने में विलंब करती हैं। पुरुष वर्ग महिला को हीन, असहाय की दृष्टि से ही देखता है हमेशा उसे शोषण करने की चीज मानता है। महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा देते हुए महात्मा गांधी ने कहा है कि महिलाओं को कमजोर कहकर बुलाना उनके मन की प्रवृति है। यह पुरुषों का महिलाओं के प्रति अन्याय है यदि शक्ति से तात्पर्य पाश्विक शक्ति से है तो महिलाएं पुरुषों से कम खूंखार हैं यदि ताकत से अभिप्राय है तो महिलाएं पुरुषों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। डॉ. अम्बेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि- किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाएं की क्या स्थिति है? दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता कोई भी देश चहुंमुखी विकास नहीं कर सकता है।

उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं की भागेदारी- उच्च शिक्षा से वंचित समुदाय के ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के पंजीकरण में पुरुषों की अपेक्षा काफी अंतर पाया गया था। शहरी महिलाओं का 2.6% और ग्रामीण महिलाओं का 5.7% है जिसमें से अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या कुछ नहीं थी, हालांकि यह पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के उच्च शिक्षा में नामांकन में 2005-06 से 2014-15 के बीच लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। इसके बावजूद अनुसूचित जाति की बालिकाओं की उच्च शिक्षा में नामांकन

दर सामान्य वर्ग की बालिकाओं की तुलना में कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार- भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% है जबकि अनुसूचित जाति की साक्षरता दर 66.10% है। सकल नामांकन दर 13.8% से काफी कम है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण(2021-22) के अनुसार कुल नामांकन दर 28.5% जिसमे अनुसूचित जाति की महिलाओं का 1.8% है। जब हम उच्च शिक्षा स्तर पर समानता की बात करते हैं तो सभी लोगों को समान रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त हो|

अनुसूचित जाति की महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ- अध्ययन से पता चलता है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को शिक्षा तक पहुँचने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गोविंद रानाडे ने इस बात पर बल दिया था कि प्राचीन काल से ही हम अपने देशवासी दलितों के साथ कैसा अमान्यवीय व्यवहार करते आए हैं। उनके साथ असमानता, अस्पृश्यता, उत्पीड़न एवं अत्याचार जैसी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे- गरीबी, लैंगिक भेदभाव, आर्थिक समस्याएं, जातीय भेदभाव और सांस्कृतिक बाधाएं आदि। अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर, नामांकन दर कम है। इसके साथ-साथ अन्य समूहों की तुलना में इन महिलाओं का शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन भी कम है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालयी स्तर तक महिलाएं शोषण का शिकार होती रही है जिस करण कुछ महिलाएं पढाई तक छोड़ देती है जिस करण वे उद्देश्यों को प्राप्त नही कर पाती और अशिक्षित ही रह जाती है। अशिक्षित महिलाओं के साथ-साथ शिक्षित महिलाएं भी शोषण का शिकार होती रही है। उच्च शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जाति की महिलाओं की बहुत सी चुनौतियों एवं समस्याओं में आर्थिक, परिवारिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ विषय चयन की समस्या, पाठ्यक्रम निर्धारण की समस्या, सुविधाओं की समस्या, परीक्षा प्रणाली की समस्या, अवसर की असमानता, लिंग भेदभाव आदि शामिल है जो उन्हें शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने के लिए मजबूर कर देते हैं|

नीतियाँ- दलित जातियों के संरक्षण तथा शिक्षा से सम्बंधित कुछ अनुच्छेद तथा दलित जाति की महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास इस प्रकार है- अनुच्छेद 15(धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध), अनुच्छेद 15(4)(शैक्षिक रूप से पिछडे लोगो की उन्नाति का प्रावधान), अनुच्छेद 17(अस्पृश्यता का अंत), अनुच्छेद 29, 30(अल्पसंख्यको को संस्कृति और शिक्षा-संबंधी अधिकार), अनुच्छेद 23(शोषण के विरुद्ध अधिकार), अनुच्छेद 37(शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा), अनुच्छेद 46(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना), अनुच्छेद 350(क)(प्राथमिक शिक्षा का अधिकार)।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम(1989)- यह निगम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका उद्देश्य उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करना और कौशल विकास में मदद करना है ताकि वे सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति(2008)- यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी स्तर तक की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है|

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति(2005-06)- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक छात्रवृत्ति योजना है, जो एमफिल और पीएचडी कर रहे एससी., एसटी और

ट्रांसजेंडर छात्रों का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य इन समुदायों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप- इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्राओं को जिन्हें पी.एचडी. की डिग्री प्राप्त कर ली है तथा जिन्होंने शोध-पत्र प्रकाशित कर लिये है उनके द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में शोध करने के लिए यू. जी. सी. ने पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति (2 वर्ष) की योजना आरंभ की।

स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति योजना(2012)- इसका उद्देश्य छात्रवृत्ति (2वर्ष) के माध्यम से उन बालिकाओं को शिक्षित करना तथा शिक्षा में बढ़ावा देना जो परिवार की एकमात्र लड़की है तथा जो स्नातक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है|

सुकन्या समृद्धि योजना(2014)- केंद्र सरकार ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा एवं शादी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई ताकि उन्हें उचित शिक्षा मिल सके।

अनुसूचित जाति कन्या शिक्षा योजना(2014-15)- यह योजना निम्न साक्षरता वाले

जिलों में अनुसूचित जाति की 12वी लड़कियों के लिए है ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके|

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना(2021-22)- यह योजना गरीबी उन्मूलन, विकास और शैक्षिक सहायता पर ध्यान केंद्रित करती है।

भारतीय समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा से वंचित वर्गों के हितों को सूचित करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान द्वारा विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य उनका प्रतिनिधित्व बढे और इसका लक्ष्य उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार हो सके ताकि वे समाज की मुख्यधारा में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें। भेदभाव को रोकना और बेहतर शिक्षा प्रणाली स्थापित करना अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष- भारत में अनुसूचित जातियां सदियों से शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का शिकार रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहा है| हालांकि भारतीय संविधान ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों में दलित जातियों के लिए आरक्षण की नीति को अपनाया है। इन नीतियों का उद्देश्य असमानताओं को दूर कर, हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करना है। उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद प्राप्त निष्कर्ष इसप्रकार है-

1. शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। यह भेदभाव शिक्षकों, सहपाठियों या संस्थागत नीतियों के द्वारा होता है| शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं जिससे उनके सीखने के अनुभव और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शहरी केंद्रों और प्रतिष्ठित संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अनुसूचित जाति की महिलाओं की पहुंच अभी भी सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों में अक्सर अपर्याप्त सुविधाएं, योग्य शिक्षकों की कमी और सीमित संसाधन होते हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

2. पितृसत्तात्मक मानदंड, जल्दी शादी का दबाव और शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आर्थिक बाधाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, भेदभाव और अपर्याप्त समर्थन प्रणाली जैसे कारक उनकी शिक्षा पूरी करने में बाधा डालते हैं| उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत जैसे ट्यूशन फीस, रहने का खर्च और अध्ययन सामग्री अदि जो अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एक बड़ी बाधा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अनुसूचित जाति की महिलाओं को रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बेमेल योग्यता, कौशल की कमी और सामाजिक पूर्वाग्रह रोजगार प्राप्त करने में बाधा डालते हैं।

3. हाल के वर्षों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की उच्च शिक्षा में नामांकन दरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सरकारी नीतियों और जागरूकता अभियानों ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, कुल नामांकन की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम है। नामांकन दरों में वृद्धि के बावजूद उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति की महिलाओं के ड्रॉपआउट दर अभी भी चिंता का विषय है। विभिन्न सरकारी योजनाएं और छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। उच्च शिक्षा में अवसरों, छात्रवृत्ति योजनाओं और करियर विकल्पों के बारे में जानकारी की कमी के करण सही निर्णय नही ले पाती है। जागरूकता की कमी के साथ-साथ आवेदन प्रक्रियाओं की जटिलता भी इसका एक कारण है| इसके साथ ही आज महिलाओं ने कुछ क्षेत्रों में पुरुषों से आगे बढ़कर अपनी नई पहचान बनाकर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हैं।

संदर्भग्रंथ-सूची

कोरे, मिस., देसाई, आई. पी.,(1988) , द स्कोप ऑफ़ सोशियोलॉजी ऑफ़ एजुकेशन, एशिया पब्लिकेशन, मुंबई.

सिंह, कुमार मनोज, 2000, “शिक्षा और समाज” आदित्य पब्लिशर्स, दिल्ली, वॉल्यूम 1.

कुमार दुबे, डॉ अभय, 2002, “आधुनिकता के आईने में दलित”, वाणी प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.

पाठक, पी. डी., 2006, “भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएं”, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.

अग्रवाल, जे. सी., 2007, “भारत में नारी शिक्षा”, विद्याविहार पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

मिश्रा, सी. आर., 2009, महिला शिक्षा, ए. पी. एच. प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली.

अम्बेडकर, बी. आर., 2011, “अछूत कौन और कैसे?”, सामयक प्रकाशन, नई दिल्ली.

डॉ. वीर, धर्म, 2012, “दलित चिंतन का विकास”, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली,.

जैन, अरविंद, 2012, “औरत होने की सजा”, राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली.

जाड़िया, डॉ. सीता, 2012, “दलित महिला विकास योजना एवं बालिका शिक्षा”, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

सोनी, सुमन, (2012) “वूमेन इन ट्वेन्टी वन संचुरी”, नेहा पब्लिकेशन, राज नगर, नई दिल्ली.

जगडन्ड, पी. जी., (2013) “दलित वूमेन इन इंडिया”, ज्ञान पब्लिकेशन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली.

जज परमजीत, एस., 2014, “टुवड्र्स सोशियोलॉजी आफ दलित”, सेज पब्लिकेशन, मथुरा रोड, नई दिल्ली.

यादव सिंह, वीरेन्द्र, 2014, □भारत की उच्च शिक्षा: चुनौतियां एवम् समाधान की दिशाएं, अल्फ़ा प्रकाशन, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली.

पाठक, आर. पी., 2014,“प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा□, कनिष्क पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली.

कुमार, अरुण, 2015,“आधुनिक शिक्षा एवं दलित□, रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर, जयपुर.